



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082023-247861
CG-DL-E-04082023-247861

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2023/श्रावण 13, 1945

No. 187]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2023/SHRAVANA 13, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2023

सं. 25 / 2023

विषय: गेहूं के आटे के निर्यात हेतु ड-136 पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) की शर्तों में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/85/171/00014/डीईएस VI.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

सार्वजनिक सूचना सं. 62/2015-20 दिनांक 23.03.2023 में यथा संशोधित सिओन ड.-136 के लिए, टिप्पणी 3 को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

टिप्पणी 3: मिलेट्स सहित गेहूं के आटे को भी नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन निर्यात की अनुमति है:

- निर्यात मदों में न्यूनतम 65% मात्रा में गेहूं का आटा और अन्य सामग्रियों (यदि कोई हो) के अलावा न्यूनतम 15% मात्रा में मिलेट्स शामिल होगा।
- ऐसी निर्यातित मदों यानी 'मिलेट्स सहित गेहूं के आटे (आटा)' के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र के तहत गेहूं की आयात पात्रता की गणना निर्यात मद में संपूर्ण गेहूं के आटे (आटा) की प्रतिशत मात्रा के अनुपात में की जाएगी, यानी प्रति 1 किलोग्राम संपूर्ण गेहूं के आटे (आटा) के निर्यात के लिए 1.07 किलोग्राम गेहूं के आयात की अनुमति होगी।

- ग. निर्यात मद में शामिल किए जा रहे मिलेट्स और अन्य सामग्रियों को घरेलू रूप से प्राप्त किया जाएगा।
- घ. शिपिंग बिल में निर्यात विवरण स्पष्ट रूप से संपूर्ण गेहूं के आटे की प्रतिशत मात्रा, मिलेट्स की प्रतिशत मात्रा और शामिल की जा रही अन्य सामग्रियों को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा।
- ड. सार्वजनिक सूचना संख्या 38/2015-20 दिनांक 25.11.2022 और सार्वजनिक सूचना सं. 62/2015-20 दिनांक 23.03.2023 में पूर्व में विनिर्दिष्ट सभी अन्य शर्तें लागू रहेंगी

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: सिसोन 'ड-136 को मिलेट्स सहित गेहूं के आटे के निर्यात को अनुमति प्रदान करने हेतु संशोधित किया जा रहा है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th August, 2023

No. 25 /2023

Subject: Amendments in conditions of the Standard Input Output Norms (SION) at E-136 for export of Wheat Flour-regarding.

F. No. 01/85/171/00014/DES.VI.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 & 2.04 of Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments:

For the SION E-136 as amended in Public Notice No. 62/2015-20 dated 23.03.2023, note 3 is added as under:

Note 3: Export of 'Wheat Flour (Atta) with Millets' is also allowed subject to the conditions that:

- The export item will contain a minimum of 65% Wheat Flour (Atta) & a minimum of 15% Millets in addition to other ingredients (if any).
- Import entitlement of Wheat under the Advance Authorization for such export items, i.e. 'Wheat Flour Atta with Millets' will be calculated in proportion to the %age content of Whole Wheat Flour (Atta) in the export item, i.e. for export of every 1 Kg of Whole Wheat Flour (Atta), import of 1.07 Kg of Wheat will be allowed.
- Millets & other ingredients being added to the export item will be domestically sourced.
- The export description in the SB will clearly indicate the %age content of Whole Wheat Flour, %age content of Millets and other ingredients being added.
- All other conditions specified earlier in Public Notice No.38/2015-20 dated 25.11.2022 and Public Notice No.62/2015-20 dated 23.03.2023 will continue to be in force.

Effect to this Public Notice: SION E-136 is being amended to allow export of Wheat Flour (Atta) with Millets.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex-officio Addl. Secy.